संख्या:585/नौ-5-14-96बजट/2013

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 25 फरवरी, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष-2013-14 में जनपद मैनपुरी की नगर पंचायत, करहल के पेयजल कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(नागर), उ.प्र. जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-24/नागर-2/033-0410/14, दिनांक-30.01.2014 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-1741/नौ-5-13-96 बजट/2013 दिनांक 31.03.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मैनपुरी की नगर पंचायत, करहल के पेयजल कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में **रू.11.00 लाख (रूपये ग्यारह लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ तथा सचिव/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाता/पीएलए में नहीं रखी जायेगा।
2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्रांइग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिर्वाय होगा।
3. कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगें कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाये।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
5. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री एवं उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है।
6. कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगें कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।
7. कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी कार्यदायी संस्था अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेगें।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-193-नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूर्जीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या-585(1)/नौ-5-2014, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग), उ.प्र. इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ/मैनपुरी।
3. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
6. वित्त(ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/4
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8. मुख्य अभियन्ता(आ0क्षे0), उ.प्र. जल निगम, आगरा
9. अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी निर्माण खण्ड, उ.प्र. जल निगम, मैनपुरी।
10. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, करहल, जनपद मैनपुरी।
11. सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव।